


न्यायालय में, श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश



(140)

140-3687-14-16

न्यायालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)

14 SEP 2016

भारखा
अधीक्षक

कलेक्टर

1. महामंगल पिता दुहबर शुक्ला,
निवासी ग्राम केसौटी, तहसील जेतपुर,
जिला- शहडोल म०प्र०

2. देवदत्त पिता शिवाकर शुक्ला,
निवासी अमलाई तहसील सोहागपुर,
जिला- शहडोल म०प्र०

— आवेदकगण

// बनाम //

1- ग्राम पंचायत अमलाई विकास खण्ड बुद्धार, तहसील जेतपुर, जिला-शहडोल
म०प्र० 1 —

2- 4849521 21167 पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय न्यायालय आयुक्त म
शहडोल संभाग शहडोल म०प्र० के रा०प्र० क्र० 06
निगरानी /2009-2010 एवं न्यायालय कले
शहडोल जिला- शहडोल म०प्र० के रा०प्र० क्र०
10/अ-74/2005-2006 आदेश दि० 14. 12

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० का मा

मान्यवर,

आवेदकगण निम्नलिखित कारणों से पुनरीक्षण प्रस्तु

विनय करते हैं :-

1. यहकि, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन एवं
वाक्यातन गलत है।


2. यहकि, प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु प
नही किया है कि, स्थित आराजी ग्राम अमलाई स्थित आराजी खसर
आवेदक कमांक-1 के नाम

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3687-दो/16

जिला - शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
16.6.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	